


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1310-एक/2009

जिला - शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 23-6-2014 | <p>आवेदक श्री अनिल कुमार सिंघल का प्रकरण की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>2/ यह पुनर्विलोकन आवेदन आवेदक द्वारा इस न्यायालय के पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 504-एक/2007 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2009 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आदेश को देखने से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक 1790-एक/2005 में पारित आदेश दिनांक 14-2-2007 के विरुद्ध पुनर्विलोकन पेश किया था, जिसके विरुद्ध पुनर्विलोकन आवेदन दिनांक 5-6-2009 को खारिज किया जा चुका है। आवेदकों द्वारा पुनर्विलोकन आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में निगरानी अथवा अपील के विरुद्ध पुनर्विलोकन पोषणीय है। पुनर्विलोकन के विरुद्ध पुनर्विलोकन प्रचलन योग्य नहीं होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय पुनर्विलोकन आवेदन इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> (अशोक शिवहरे) सदस्य</p> | |